न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :— हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या — 124/2009/225 आर टी ए

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर जिला हनुमानगढ़।

——अपीलांट

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र गणेशाराम जाति सुथार निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. चावली पुत्री गणेशाराम जाति सुथार निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. तीजा पुत्री गणेशाराम जाति सुथार निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. ओमप्रकाश पुत्र दौलतराम जाति सुथार निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
5. मदनलाल पुत्र दौलतराम जाति सुथार निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
6. शिशपाल पुत्र दौलतराम जाति सुथार निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
7. भोजराज पुत्र दौलतराम जाति सुथार निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
8. रणजीत पुत्र दौलतराम जाति सुथार निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
9. संजय कुमार पुत्र दौलतराम जाति सुथार निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
10. भगवती पुत्री दौलतराम जाति सुथार निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
11. राजोदेवी पत्नि मनीराम जाति सुथार निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
12. रामेश्वरलाल पुत्र मनीराम जाति सुथार निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
13. ओमप्रकाश पुत्र मनीराम जाति सुथार निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
14. श्योपती पुत्री मनीराम जाति सुथार निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
15. कलावती पुत्री मनीराम जाति सुथार निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
16. उर्मिला पुत्री मनीराम जाति सुथार निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
17. भूरीदेवी पुत्री मनीराम जाति सुथार निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

18. मन्जू देवी पुत्री मनीराम जाति सुथार निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
19. शारदा देवी पुत्री मनीराम जाति सुथार निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
20. लिछमण पुत्र आशाराम जाति सुथार निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
21. जगराज पुत्र आशाराम जाति सुथार निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
22. केशराराम पुत्र अमीचन्द जाति सुथार निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
23. कृष्ण पुत्र अमीचन्द जाति सुथार निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
24. बनवारीलाल पुत्र अमीचन्द जाति सुथार निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
25. प्रभुराम पुत्र अमीचन्द जाति सुथार निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
26. शांति पुत्री अमीचन्द जाति सुथार निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
27. शरबती पुत्री अमीचन्द जाति सुथार निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
28. बोगी पुत्री अमीचन्द जाति सुथार निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
29. विमला पुत्री अमीचन्द जाति सुथार निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
30. निराणी पत्नि अमीचन्द जाति सुथार निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 12.03.2008 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर प्र0सं0 687(156)/2008 अनवानी सोहनलाल आदि बनाम सरकार

उपस्थित :—

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री रामकुमार कस्वां अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 व 4

श्री देवदत भीड़ासरा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 5 ता 10

निर्णय दिनांकः—10.11.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्री 55 के आराजी काश्तकारान की सूची मे मनीराम आदि के नाम चक 3 केडब्ल्यूडी के प.न. 160/386, 158/387, 159/387, 160/387 की कुल 5.262 है0 आराजी भूमि काश्त 1955 से पूर्व की दर्ज कागजात होने एवं जिला कलैक्टर के निर्देशानुसार प्री 55 के समस्त काश्तकारान को आरटीए की धारा 15एएए (3) 2क के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार दिये जाने के निर्देश होने के आधार पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु

रेस्पो0 को नोटिस जारी कर आवेदन पत्र दिनांक 04.02.08 को राजस्व कैम्प 22 एजी मे प्रस्तुत करने की हिदायत दी गई एवं दिनांक 12.03.08 को अपीलांट को बिना जवाब साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये उसी दिन अपीलाधीन आदेश के तहत विवादित भूमि पर रेस्पो0 को खातेदारी अधिकार विधिक प्रावधानो के विपरीत पारित किये गये है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान राजकीय अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट भूधारक है एवं प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार है एवं अहम जवाबदेही रखता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को प्रकरण मे पक्षकार तो अवश्य बनाया है परन्तु साक्ष्य सुनवाई हेतु किसी प्रकार का कोई नोटिस अपीलांट को नही दिया। पत्रावली पर कोई नोटिस अपीलांट के नाम से जारीशुदा उपलब्ध नही है एवं एकपक्षीय आदेश पारित कर गलत रूप से रेस्पो0 को खातेदारी अधिकार दिये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के जरिये जिस भूमि की रेस्पो0 को खातेदारी प्रदान की है वह भूमि सम्वत 2012 से पूर्व रेस्पो0 अथवा उनके पूर्वज लगातार कब्जे मे होनी सिद्ध नही होती है। खसरा मिलान क्षेत्रफल मे अन्य काश्तकारान का नाम अंकित है एवं लगातार खसरा गिरदावरी पत्रावली पर प्रस्तुत नही है और न ही प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर समस्त प्रार्थीगण के हस्ताक्षर है एवं न ही निर्धारित कोर्ट फीस चस्पा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत भूमि के प्री 55 के होने संबंधी कोई साक्ष्य नही था और न ही रेस्पो0 का लगातार काबिज होने का कोई का सबूत था एवं बिना सिलिंग सीमा की जांच किए अपीलाधीन निर्णय पारित कर निःशुल्क खातेदारी अधीनस्थ न्यायालय ने गलत दी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय को तहसीलदार रावतसर से प्री 55 की भूमि के आरजी काश्तकारान की सूची प्राप्त हुई जिसमे रेस्पो0 के नाम आरजी काश्त सन् 1955 से पूर्व की दर्ज राजस्व रिकार्ड अभी तक होने से श्रीमान जिला कलैक्टर हनुमानगढ़ के निर्देशानुसार लम्बे समय से पीडित काश्तकारान को राहत प्रदान करने के उदेश्य से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु संबंधित पक्षकारान को जरिये नोटिस सूचित किया गया जिसमे रेस्पो0 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15एएए (3)(2क) के अन्तर्गत खातेदारी अधिकारो की घोषणा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय आवेदन पत्र के संबंध मे पूर्ण जांच रिपोर्ट प्राप्त करते हुए अपीलाधीन निर्णय

के जरिये खातेदारी अधिकार प्रदान किये है जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि प्रकरण मे तहसीलदार रावतसर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्री 55 की भूमि के आरजी काश्तकारान की सूची प्रस्तुत की गई। जिसमे रेस्पो0 के नाम आरजी काश्त सन् 1955 से पूर्व की दर्ज राजस्व रिकार्ड अभी तक होने से श्रीमान जिला कलैक्टर हनुमानगढ़ के निर्देशानुसार लम्बे समय से पीडित काश्तकारान को राहत प्रदान करने के उदेश्य से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु संबंधित पक्षकारान को जरिये नोटिस सूचित किया गया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15एएए (3)(2क) के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र मे मय सत्यापित शपथ पत्र आवश्यक दस्तावेज नकल जमाबंदी सम्वत 2011 से 14, 2012 से 2015 या अन्य कोई सबूत जैसे नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2012 या ढालबोछ सम्वत 2012 व प्री 55 की भूमि होने का या आवंटन नियम 1971 के अन्तर्गत आवंटित पट्टा व वर्तमान जमाबंदी की नकल सहित खातेदारी अधिकार प्राप्त करने कैम्प 22 एजी मे प्रस्तुत हो, अंकन फर्दअहकाम मे किया गया। रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत होकर आवेदन पत्र बाबत खातेदारी अधिकार दिये जाने हेतु प्रस्तुत किया। परन्तु रेस्पो0 द्वारा नकल जमाबंदी सम्वत 2012 एवं खसरा गिरदावरी सम्वत 2012 से 15 एवं सर्वे खसरा एवं सूची नम्बर 4 खसरा न0 1246 रोही रावतसर का रिकार्ड प्रस्तुत नही किया गया। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना दस्तावेजी साक्ष्य के अपीलाधीन निर्णय के जरिये 15एएए के तहत रेस्पो0 को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है तथा अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई हेतु कोई अवसर नही दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश मे भी यह उल्लेखित किया गया है कि नकल जमाबंदी सम्वत 2012 से 15 रिकार्ड फटे होने की वजह से नकल नही दी जाने की तस्दीक इत्यादि पेश किये गये है। इसके साबित होता है कि रेस्पो0 द्वारा नकल जमाबंदी सम्वत 2012, खसरा गिरदावरी सम्वत 2012 से 15 एवं सर्वे खसरा एवं सूची नम्बर 4 खसरा न0 1246 रोही रावतसर के दस्तावेजात प्रस्तुत नही किये गये थे। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को सुने एवं बिना दस्तावेजी साक्ष्य के पारित अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायसंगत नही होने के कारण अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.03.2008 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण से संबंधित दस्तावेजात की जांच करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय प्रसारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.11.2017 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ